

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारकित प्रश्न संख्या-44

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को कोयले और गैस की आपूर्ति

*44. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोयले, गैस आदि सहित फीड स्टॉक की कमी/अनुपलब्धता से विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों/स्टेशनों को कितनी मात्रा में कोयले और गैस की आपूर्ति की गई और इन विद्युत संयंत्रों/स्टेशनों को ईंधन की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या हाल ही में कोयला ब्लॉक आबंटनों को रद्द किए जाने से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में विद्युत संयंत्रों को कोयले, गैस और अन्य फीड स्टॉक की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत संयंत्रों को कोयले और गैस की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 44 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी नहीं। वर्ष 2014-15 में कुल उत्पादन 1048.7 बिलियन यूनिट था जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.4% अधिक था।

(ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (जून, 2015 तक) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (मई, 2015 तक) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति की गई गैस की मात्रा के ब्यौरे अनुबंध-11 में दिए गए हैं।

स्वदेशी गैस के उत्पादन में कमी के कारण गैस आधारित संयंत्रों को गैस की आपूर्ति सीमित रही है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : महाराष्ट्र स्थित विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्रों को कोयले और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले का बढ़ा हुआ उत्पादन, वर्ष 2014-15 में उत्पादन बढ़कर 494.23 मिलियन टन हुआ, जो वर्ष 2013-14 के दौरान हुए उत्पादन की अपेक्षा 6.8% अधिक है। उत्पादन 01 अप्रैल, 2015 से 14 जुलाई, 2015 तक 11.4% तक और बढ़ गया है।
- (ii) 31 मार्च, 2015 तक विद्युत क्षेत्र को नीलामी/आबंटन के माध्यम से 46 कोयला ब्लॉकों का पुनः आबंटन।
- (iii) कोयले की आपूर्ति के तात्कालिक मुद्दों के समाधान के लिए कोयले की ई-नीलामी में विद्युत क्षेत्र के लिए पृथक रूप से कोयले की मात्रा निर्धारित की गई।
- (iv) रिवर्स ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुने हुए स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी की आपूर्ति।

अनुबंध-1

"विद्युत संयंत्रों को कोयले और गैस की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 & 2015-16 (अप्रैल- जून, 2015) के दौरान आपूर्ति कोयला

कोयले की मात्रा, हजार टन में

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	के दौरान आपूर्ति कोयला			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-जून)
1	उत्तरी क्षेत्र				
	दिल्ली				
1	राजघाट	702	391	356	44
2	बदरपुर	3925	3756	2828	768
	उप जोड़	4627	4147	3184	812
	हरियाणा				
3	पानीपत	7132	3916	2798	345
4	राजीव गांधी	4443	3030	3680	841
5	यमुना नगर	774	2261	2223	588
6	इंदिरा गांधी	3828	4132	5006	1506
7	महात्मा गांधी	2358	4115	3873	1198
	उप-जोड़	18535	17454	17580	4478
	पंजाब				
8	जी एच टीपीएस (लेह मो.)	4171	3970	2878	393
9	रोपर	5818	4973	4237	651
10	जीएनडी टीपीएस(भटिंडा)	1149	1137	997	116
11	राजपुरा	0	0	3151	947
12	तलवंडी साबो	0	0	656	250
	उप-जोड़	11138	10080	11919	2357
	राजस्थान				
13	कोटा	6105	5616	6342	1118
14	सुरतगढ़	6999	5926	7253	963
15	छाबड़ा	2086	1902	3152	807
16	कवाई	0	2083	4285	1039
	उप-जोड़	15190	15527	21032	3927
	उत्तर प्रदेश				
17	अनपारा	7859	8481	7940	2342
18	हरदुआगंज	1177	2242	2562	562
19	ओबरा	3333	3246	3337	804
20	पनकी	806	715	912	279
21	परीछा	3534	4915	5065	1262
22	दादरी (एनसीटीपीपी)	8362	8300	8463	2184
23	रिहंद	11128	12828	15096	3764
24	सिंगरौली	11391	10884	10718	2743
25	टांडा	2885	2796	2555	798
26	ऊंचाहार	6203	5477	5232	1413
27	रोजा	4452	4919	5754	1360

कोयले की मात्रा, हजार टन में

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	के दौरान आपूर्ति कोयला			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-जून)
28	अनपरा सी	2201	4649	5649	1259
29	बारखेरा	523	536	479	72
30	खांबरखेड़ा	523	524	470	84
31	कुंडारकी	477	535	474	87
32	उतरीला	388	583	893	56
33	मकसूदपूर	508	523	484	64
	उप-जोड़	65750	72153	76083	19133
	कुल उत्तरी क्षेत्र	115240	119361	129798	30707
II	पश्चिमी क्षेत्र				
	छत्तीसगढ़				
34	डीएसपीएम	2521	1950	3074	617
35	कोरबा-II	2576	2439	2352	600
36	कोरबा वेस्ट	4968	4909	6538	1807
37	कोरबा	15204	15436	14691	3533
38	सिपत	11168	12399	13759	3541
39	पथाडी	2564	1423	1585	331
40	भिलाई	2673	2165	2404	640
41	ओपी जिंदल	5191	5576	5727	514
42	बड़ादरहा	0	0	0	0
43	अकलतारा	0	596	2049	619
44	तमनार	0	0	1473	366
	उप-जोड़	46865	46893	53652	12568
	गुजरात				
45	सिक्का रेप.	656	388	675	193
46	गांधी नगर	2609	1284	2102	667
47	उकाई	4142	3503	4443	1162
48	वानकबोरी	6525	3422	5140	1433
49	साबरमती (सी स्टेशन)	1855	1686	1746	479
50	मुंद्रा (अदानी)	11999	15588	16562	4656
51	मुंद्रा यूएमटीपीपी	5210	11849	10388	2432
52	सलाया	1966	2875	2996	536
	उप-जोड़	34962	40595	44052	11558
	मध्य प्रदेश				
53	अमरकंटक एक्स	2135	2187	1562	239
54	संजय गांधी	6420	5923	5205	1082
55	सतपुरा	5706	5045	5216	1442
56	श्री सिंगाजी	0	0	1696	574
57	विध्याचल	19086	19924	21152	5532
58	बीना	291	1117	1672	349
59	सासन यूएमटीपीपी	0	1004	8525	3723
	उप-जोड़	33638	35200	45028	12941
	महाराष्ट्र				
60	भुसावल	3110	5176	5712	1435
61	चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	11812	10169	10682	2943
62	खापड़खेड़ा	6586	6412	6966	1632
63	कोराडी	2127	2173	2082	576
64	नासिक	3478	3252	3497	1135

कोयले की मात्रा, हजार टन में

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	के दौरान आपूर्ति कोयला			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-जून)
65	पार्ली	3620	2859	3905	1144
66	पारस	2382	2982	2356	705
67	तिरौरा	616	5912	9379	3009
68	दहानु	2763	2586	2529	661
69	बुटीबोरी	0	0	972	575
70	अमरावती	0	580	1365	426
71	एमको वरीरा	0	1508	2203	583
72	मौदा	152	802	2022	415
73	वर्धा वरीरा	2206	1566	822	395
74	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी	4391	3419	3684	820
75	ट्रॉम्बे	2808	2615	2043	680
	उप-जोड़	46051	52011	60219	17134
कुल पश्चिमी क्षेत्र		161516	174699	202951	54201
	दक्षिणी क्षेत्र				
	आंध्र प्रदेश				
76	डॉ एन टाटा राओ	9736	9385	9678	2478
77	रायलसीमा	5213	4967	5616	1498
78	सिम्हाद्री	9149	10023	10562	2299
79	दामोदरम संजीव्यैहा	0	0	0	0
80	थामिनापट्टनम	23	1174	1104	234
81	सिम्हापुरी	673	1447	2295	524
	उप-जोड़	24794	26996	29255	7033
	तेलंगाना				
82	कोथागुडम	10346	9916	9786	2114
83	रामागुंडम	13318	13207	14761	3361
84	रामागुंडम बी	322	364	125	41
85	काकातीया	2345	2090	2783	436
	उप-जोड़	26331	25577	27455	5952
	कर्नाटक				
86	रायचुर	7669	7818	8297	2408
87	बेल्लारी	2904	4114	4167	965
88	तोरांगुलु	2737	2213	2517	554
89	उडुपी	2505	2943	2696	1074
	उप-जोड़	15815	17088	17677	5001
	तमिलनाडु				
90	इन्नौर	929	1451	751	270
91	मेडूर	4716	6590	6811	1585
92	नार्थ चेन्नई	3503	4491	7551	1997
93	तूतीकोरिन	6645	6250	6371	1525
94	वल्लूर	434	2802	3952	1310
	उप-जोड़	16227	21584	25436	6687
कुल दक्षिणी क्षेत्र		83167	91245	99823	24673
	पूर्वी क्षेत्र				
बिहार					
95	बरौनी	0	0	0	0
96	कहलगांव	13496	14037	13343	3109
97	मुजफ्फरपुर	0	908	827	184

कोयले की मात्रा, हजार टन में

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	के दौरान आपूर्ति कोयला			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल-जून)
98	बाढ़ II	0	0	1197	528
	उप-जोड़	13496	14945	15367	3821
झारखंड					
99	पतरातू	944	583	705	121
100	तेनुघाट	2072	1752	1687	500
101	बोकारो बी	2855	1602	1363	200
102	चंद्रपुरा (डीवीसी)	4300	3728	3847	984
103	मैथन आरबी	3279	4459	3649	1131
104	कोडरमा	0	1403	1522	412
105	महादेव प्रसाद	76	4274	1189	175
	उप-जोड़	13526	17801	13962	3523
ओडिशा					
106	आईबी वैली	2710	2574	2428	699
107	तलचर (ओल्ड)	3096	3090	3180	782
108	तलचर एसटीपीएस	17232	17219	18239	4372
109	स्टरलाईट	6171	6387	5941	1320
110	कमलंगा	0	1039	3181	997
111	देरांग	0	0	0	0
	उप-जोड़	29209	30309	32969	8170
पश्चिम बंगाल					
112	दुर्गापुर	1720	1583	968	251
113	मेजिया	8654	9145	8441	1947
114	बंडेल	1688	1100	1022	188
115	बकरेश्वर	7453	4925	5605	1049
116	डीपीएल	1725	1318	1104	293
117	कोलाघाट	6391	5069	6330	1321
118	सागरदीघी	2600	2513	2898	379
119	संतालडीह	1612	1907	2614	638
120	बज-बज	3639	3548	3481	922
121	साउदर्न रिप्लेसमेंट	756	729	735	146
122	न्यू काशीपुर	235	153	91	
123	टीटागढ़	1067	1158	1150	177
124	फरक्का	9158	10349	9772	2197
125	दुर्गापुर स्टील	1669	2908	2885	878
126	हल्दिया	0	0	196	415
	उप-जोड़	48367	46405	47292	10801
कुल पूर्वी क्षेत्र		104598	109460	109590	26315
कुल अखिल भारत		464521	494765	542162	135896

"विद्युत संयंत्रों को कोयले और गैस की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 44 के के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 (अप्रैल-मई, 2015) के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति गैस की मात्रा

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता \$ (मेगावाट)	राज्य का नाम	पी/आई	आपूर्ति/उपभोग की गई गैस (एमएमएससीएमडी)			
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (मई, 2015 तक)
केंद्रीय क्षेत्र								
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	पी	1.43	1.02	0.93	0.60
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	पी	1.36	1.19	1.02	0.64
3	एनटीपीसी, और्या सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	पी	1.74	1.12	1.05	0.82
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	पी	2.84	1.92	1.44	1.54
	उप-जोड़(एनआर)	2344.06			7.37	5.25	4.44	3.59
5	एनटीपीसी, गांधार (झानेर) सीसीपीपी	657.39	गुजरात	पी	1.99	0.81	0.99	1.21
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	पी	1.65	0.80	1.00	1.27
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	पी	2.78	0.77	0.00	0.00
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	3280.59			6.42	2.38	1.99	2.48
8	कटहलगुरी (नीपको)	291	असम	आई	1.38	1.42	1.33	1.28
9	अगरतला जीटी (नीपको)	109.5	त्रिपुरा	आई	0.72	0.73	0.78	0.00
10	मोनार्चक (नीपको)	65.4	त्रिपुरा	आई	0.00	0.00	0.00	0.74
11	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	726.6	त्रिपुरा	आई	0.00	0.34	1.47	1.54
	उप-जोड़ (एनईआर)	1192.5			2.10	2.49	3.58	3.55
	कुल (सीएस)	6817.15			15.89	10.12	10.01	9.61
राज्य क्षेत्र								
12	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	पी	0.91	0.73	0.66	0.53
13	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	दिल्ली	पी	0.87	0.40	1.19	1.37
14	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	पी	1.44	1.39	1.07	1.15
15	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	पी	0.77	0.66	0.59	0.33
16	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	273.8	राजस्थान	आई	0.75	0.90	1.31	1.70
	उप-जोड़(एनआर)	2704.2			4.74	4.08	4.82	5.07
17	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
18	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	594.72	गुजरात	पी	0.47	0.11	0.01	0.02
19	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	पी	0.44	0.17	0.14	0.12
20	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518	गुजरात	पी	0.55	0.01	0.07	0.11
22	उरान सीसीपीपी (महाजंको)	672	महाराष्ट्र	पी	2.43	2.12	2.29	1.50
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	2993.82			3.89	2.41	2.51	1.74
23	करायकाल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी	आई	0.18	0.19	0.08	0.09
24	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107	तमिलनाडु	आई	0.38	0.65	0.25	0.21
25	कुटलम (टांजेडको)	100	तमिलनाडु	आई	0.03	0.35	0.30	0.38
26	वलथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	आई	0.55	0.72	0.61	0.39
	उप-जोड़(एसआर)	425.7			1.14	1.91	1.24	1.07
27	लाकवा जीटी (एएसईबी, मैबेला)	157.2	असम	आई	0.78	0.81	0.80	0.81
28	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	आई	0.65	0.62	0.68	0.59
29	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	आई	0.39	0.31	0.36	0.31
30	रोखिआ जीटी (टीएसईसीएल)	111	त्रिपुरा	आई	0.36	0.54	0.50	0.52
	उप-जोड़(एनईआर)	445.7			2.18	2.28	2.34	2.23

	कुल(एसएस)	6569.42			11.95	10.68	10.91	10.11
निजी क्षेत्र								
31	वाटवा सीसीपीपी (टोरेट)	100	गुजरात	पी	0.08	0.00	0.00	0.00
32	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	पी	0.91	0.75	0.67	0.67
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	280			0.99	0.75	0.67	0.67
निजी आईपीपी क्षेत्र								
33	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	पी	0.11	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़(एनआर)	108			0.11	0.00	0.00	0.00
34	बरौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	पी	0.25	0.11	0.02	0.02
35	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	पी	0.66	0.03	0.00	0.00
36	पेगुथान सीसीपीपी (जीपीईसी)	655	गुजरात	पी	0.84	0.17	0.19	0.12
37	सुजैन सीसीपीपी (टोरेट)	1147.5	गुजरात	पी	2.15	1.23	1.36	1.59
38	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
39	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	3845			3.90	1.54	1.57	1.72
40	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	पी	0.54	0.00	0.02	0.02
41	जीएमआर - काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	पी	0.24	0.00	0.00	0.00
42	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	पी	0.61	0.63	0.32	0.31
43	जेगुरुपड्डू सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	पी	0.97	0.58	0.36	0.47
44	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	पी	0.54	0.00	0.00	0.00
45	कोडांपल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	पी	0.42	0.00	0.00	0.00
46	कोडांपल्ली सीसीपीपी (लेंको)	350	आंध्र प्रदेश	पी	0.98	0.75	0.19	0.09
47	पेड्डा पुरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	पी	0.49	0.37	0.13	0.00
48	वीमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	पी	0.47	0.09	0.00	0.51
49	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	पी	0.76	0.68	0.42	0.58
50	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
51	आर वी के इनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
52	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
53	एल वी एस पावर	55	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00
54	करुपपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	आई	0.49	0.68	0.33	0.49
55	पी. नालूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	आई	0.3	0.01	0.00	0.00
56	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	आई	0.26	0.25	0.27	0.15
	उप-जोड़(एसआर)	4021.5			7.07	4.04	2.04	2.61
57	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	आई	0.04	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़(एनईआर)	24.5			0.04	0.00	0.00	0.00
	कुल(निजी आईपीपी एस)	7999			12.10	5.58	3.61	4.33
	कुल (निजी)	8279			13.09	6.33	4.28	5.00
	सकल योग	21665.57			40.00	27.13	25.20	24.71

* एपीएम: प्रशासित मूल्य तंत्र, आरएलएनजी: पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलटी: दीर्घवधिक

\$ माह की अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता

* 90% पीएलएफ पर नॉर्मेटिव गैस आवश्यकता जीसीवी गैस=9000 किलोकैलोरी/एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी के अतिरिक्त जिसके लिए जीसीवी 4150 किलोकैलोरी/एससीएम है), स्टेशन ताप दर - ओपन साइकिल पर 2900 किलोकैलोरी/केडब्ल्यूएच और कंबाइंड साइकिल के लिए 2000 किलोकैलोरी/केडब्ल्यूएच। + आरएलएनजी सहित

** कुल 515 मेगावाट क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत ग्रिड को सप्लाई की जाती है और शेष 215 मेगावाट का उपयोग कैप्टिव उत्पादन में किया जाता

पी = पाइप लाइन द्वारा आपूर्ति

आई = पृथक

एमयू - मिलियन यूनिट, केएल - किलोलीटर, केएल = 1.35*एमटी

एमएमएससीएमडी - मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन =

एमएमएससीएम डाटा वार्षिक/365

एचएसडी - हाई स्पीड डीजल

एन/आर : सूचना नहीं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारकित प्रश्न संख्या-53

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

पारेषण लाइनों की क्षमता

*53. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पारेषण लाइनों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पारेषण लाइनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विद्युत का अधिक उत्पादन करने वाले राज्य अंतर-क्षेत्रीय पारेषण बाधाओं के कारण कम विद्युत उत्पादन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति/विपथन करने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : भिवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पारेषण लाइनों की क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : दिनांक 30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 3,18,422 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और 220 केवी तथा उससे अधिक के वोल्टेज स्तर के लिए सबस्टेशनों की 6,14,875 एमवीए की रूपांतरण क्षमता थी।

(ख) और (ग) : पारेषण लाइनों का प्रचालन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, पारेषण लाइनों पर लोडिंग को वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, लूप प्रवाह, भार प्रवाह पैटर्न और ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित रखना पड़ सकता है।

(घ) और (ड) : जिन राज्यों में बिजली फालतू हो जाती है वे राज्य, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति में होने वाले कुछ अवरोधों को छोड़कर, देश में विद्युत की कमी वाली राज्य यूटिलिटियों को अपनी अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम रहे हैं।

कई अंतर्क्षेत्रीय लिंकों की योजना बनाई गई है जो कि पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर को आपस में जोड़ते हैं। जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, ऐसे अंतर्क्षेत्रीय लिंकों की कुल पारेषण क्षमता 47,450 मेगावाट है, जिसको 12वीं योजना के अंत तक 68,050 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारकित प्रश्न संख्या-59

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रश्न

*59. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

श्री भरत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत प्रश्न को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा किन मानदंडों/मानकों को अपनाया जाता है या किन दिशानिर्देश सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है;
- (ख) क्या देश में विद्युत प्रश्न विशेषकर निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रभारित किए जाने वाला प्रश्न विकासशील/विकसित देशों में प्रभारित किए जाने वाले प्रश्न की तुलना में काफी अधिक है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान विद्युत प्रश्न को युक्तिसंगत बनाने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत प्रशुल्क" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुरूप किया जाता है। जबकि केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए प्रशुल्क का विनियमन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है; राज्य के भीतर उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क का निर्धारण संबंधित राज्य विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सार्वजनिक एवं निजी दोनों वितरण लाइसेंसधारियों, के लिए समय-समय पर प्रशुल्क-निर्धारण के निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रावधान है जिन पर उपयुक्त आयोग को प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने के लिए विचार करना होता है। धारा 61 के संबंधित प्रावधान अनुबंध-1 में हैं। धारा 61(i) के अनुसार, प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते समय विनियामक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति से भी निर्देशित होते हैं।

(ख) और (ग) : भारत के विभिन्न राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए औसत प्रशुल्क के ब्यौरे अनुबंध-II में हैं। कुछ देशों में घरेलू तथा उद्योग के लिए विद्युत-मूल्य को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III में अधिकांश अन्य देशों में निहित प्रशुल्क से अधिक नहीं है।

(घ) और (ड) : वितरण कंपनियों के प्रशुल्क का निर्धारण एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित सिद्धांतों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क समय तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करने की दृष्टि से, सरकार उपयुक्त नीतिगत कार्यवाहियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कार्य में दक्षता का संवर्धन कर रही है तथा सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क का पता लगाने पर बल दिए जाने से प्रशुल्क की दरों में भी कमी आती है।

"विद्युत प्रशुल्क" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपबंध

धारा 61

उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गनिर्देशित होगा, यथा:-

- (क) उत्पादन कंपनियों एवं पारेषण लाइसेंसधारियों पर लागू प्रशुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत या कार्यप्रणालियां ।
- (ख) विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जाती है ।
- (ग) प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के क्रिफायती प्रयोग, अच्छे निष्पादन तथा अधिकतम निवेशों को प्रोत्साहित करने वाले कारक।
- (घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा साथ ही युक्तिसंगत तरीके से विद्युत लागत की वसूली ।
- (ङ) निष्पादन में दक्षता लाने वाले सिद्धांत।
- (च) बहुवर्षीय प्रशुल्क सिद्धांत।
- (छ) यह कि प्रशुल्क धीरे-धीरे विद्युत आपूर्ति की लागत को परिलक्षित करे तथा, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से क्रास-सब्सिडी को भी घटाए।
- (ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन व उत्पादन को बढ़ावा देना ।
- (झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं प्रशुल्क नीति :

बशर्ते कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 तथा निर्धारित तिथि के ठीक पूर्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागू अधिनियमों के तहत प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें एक वर्ष की अवधि के लिए या इस धारा के तहत प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगी।

अनुबंध-II

"विद्युत प्रशुल्क" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

उपभोक्ता श्रेणी-वार औसत प्रशुल्क, 2013-14

(पैसे/केडब्ल्यूएच)

क्रम सं.	राज्य/ईडी	घरेलू	औद्योगिक
I	एसपीयू		
1	आंध्र प्रदेश	473.86	535.88
2	असम	435	537
3	बिहार	328.9	671.12
4	छत्तीसगढ़	286	480.82
5	गुजरात	462.05	607.9
6	हरियाणा	437.13	573.01
7	हिमाचल प्रदेश	309.7	430.77
8	जम्मू व कश्मीर	181.56	340.92
9	झारखण्ड	236	632.24
10	कर्नाटक	422.84	610.18
11	केरल	281.09	567.86
12	मध्य प्रदेश	474.7	580.61
13	महाराष्ट्र	524.21	771.81
14	मेघालय	313.59	429.38
15	पंजाब	424.23	586.68
16	राजस्थान	549.6	582.25
17	तमिलनाडु	255.53	735.76
18	उत्तर प्रदेश	435.06	736.35
19	उत्तराखण्ड	283.16	413.46
20	पश्चिम बंगाल	540.25	650.45
	एसईबी का औसत	410.55	628.11
II.	ईडी		
1	अरुणाचल प्रदेश	360	336.54
2	गोवा	149.54	488.62
3	मणिपुर	256.37	257.2
4	मिजोरम	322.66	474.12
5	नागालैंड	340	350.29
6	पुडुचेरी	137.89	481.67
7	सिक्किम	270.06	639.98
8	त्रिपुरा	344	518.4
	ईडी का औसत	230.24	479.20
	अखिल भारतीय औसत	407.84	625.89
	₹/केडब्ल्यूएच रुपए में	4.08	6.26

स्रोत: योजना आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 अनुबंध 4.27 (पृष्ठ 187)

(दर यूएस \$ = ₹ 61) \$/एमडब्ल्यूएच में परिवर्तन तालिका

	घरेलू	औद्योगिक
\$/एमडब्ल्यूएच में	66.885	102.622

"विद्युत प्रशुल्क" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014 के लिए अमेरिकी डॉलर/यूनिट में विकसित देशों में खुदरा ऊर्जा कीमतें

क्रम सं.	देश का नाम	घरों के लिए विद्युत (एमडब्ल्यूएच)	उद्योग के लिए विद्युत (एमडब्ल्यूएच)
1	ऑस्ट्रेलिया
2	ऑस्ट्रिया	271.90	141.16
3	बेल्जियम	263.77	128.24
4	कनाडा
5	चिली	172.34	118.02
6	चेक रिपब्लिक	205.57	148.84
7	डेनमार्क	393.93	119.62
8	एस्टोनिया	174.76	124.85
9	फिनलैंड	202.27	106.61
10	फ्रांस	193.36	126.02
11	जर्मनी	387.63	169.32
12	ग्रीस	216.38	141.91
13	हंगरी	182.01	132.71
14	आयरलैंड	292.66	173.32
15	इजराइल	151.62	114.34
16	इटली	305.56	321.70
17	जापान	242.14	174.23
18	कोरिया	101.42	...
19	लक्समबर्ग	206.82	106.60
20	मैक्सिको	90.85	121.53
21	नीदरलैंड	257.20	112.84
22	न्यूजीलैंड
23	नॉर्वे	148.51	68.71
24	पोलैंड	196.30	109.48
25	पुर्तगाल	279.57	152.06
26	स्लोवाक रिपब्लिक	238.05	179.07
27	स्लोवेनिया	212.76	125.73
28	स्पेन
29	स्वीडन	233.66	90.43
30	स्विट्जरलैंड	203.69	132.55
31	तुर्की	189.96	146.68
32	यूनाइटेड किंगडम	228.86	139.78
33	यूनाइटेड स्टेट्स	121.16	68.20

स्रोत:- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण ऊर्जा सांख्यिकी 2014

34	भारत (परिवर्तन यूएस \$ = 61 ₹)	66.885	102.622
----	---------------------------------	--------	---------

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-464

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

पॉवर टरबाइन

464. श्री बी.वी. नाईकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पॉवर टरबाइनों को बदले जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन के लिए आयातित कोयले का उपयोग किया जा सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले के उत्पादन की बजाय आयातित कोयले को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। कोयले की गुणवत्ता में बदलाव से विद्युत टरबाइनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि, ताप विद्युत संयंत्रों के बायलर सामान्यतः एक निश्चित श्रेणी की गुणवत्ता वाले कोयले के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उनके संतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए इस श्रेणी के भीतर के कोयले की आवश्यकता होती है।

भारतीय विद्युत स्टेशनों द्वारा सामान्यतः प्राप्त किए जा रहे स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता में काफी भिन्नता होने के कारण, बायलरों को कोयले की गुणवत्ता में काफी भिन्नता के उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है जो विशिष्ट रूप से 3000 से 4000 किलोकैलोरी/कि.ग्रा. सकल ऊष्मा मान के बीच होती है। इस प्रकार, सामान्यतः बायलर स्वदेशी और आयातित कोयले के मिश्रण का उपयोग कर पाने में सक्षम पाए जाते हैं। तथापि, किसी स्टेशन में आयातित कोयले की कितनी मात्रा अथवा प्रतिशतता निश्चित की जा सकती है, यह अनेक कारकों जैसे कि बायलर के लिए डिजाइन, कोयला, स्टेशन द्वारा प्राप्त किए जा रहे स्वदेशी कोयले के गुणदोष और मिश्रण हेतु प्रस्तावित आयातित कोयले के गुणदोष पर निर्भर करता है। दोनों प्रकार के कोयलों का मिश्रण के योग्य होना भी अपेक्षित है, ताकि स्लेगिंग एवं अन्य प्रचालनात्मक समस्याओं से बचा जा सके।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले के घरेलू उत्पादन में विगत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में 6.8% और इस वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 14 जुलाई तक 11.4% की वृद्धि हुई है। तथापि, स्वदेशी कोयले की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादक/यूटिलिटीयां कोयले का आयात करती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-479

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

आरईसी के कर्मचारी

479. श्री सदशिव लोखंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) कर्मचारियों सहित रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या निगम में एससी/एसटी आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इन रिक्त पदों पर एससी/एसटी और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु निगम द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)के कर्मचारियों सहित रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मिकों की कुल संख्या निम्नवत हैं:

कर्मचारी का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा. कर्मचारियों की संख्या	अ.ज.जा
कार्यपालक	454	44	14
गैर कार्यपालक	167	37	1
कुल	621	81	15

(ख) : आज की तारीख तक आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित 6 पद रिक्त हैं:

कुल संख्या	पद	श्रेणी	पद की संख्या
1	डीजीएम (अभियांत्रिकी)	अ.ज.जा.	1
2	सीएम (एफ एंड ए)	अ.ज.जा.	1
3	वरिष्ठ कार्यपालक (इंजी.)	अ.जा.	2
4	वरिष्ठ कार्यपालक (इंजी.)	अ.ज.जा.	2

(ग) : कई बार पदों को भरे जाने के लिए रिक्तियों को अधिसूचित करने के बावजूद भी, उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। सभी रिक्त बैकलॉग रिक्तियां पूर्व चक्र के पूरा होने पर अगली भर्ती चक्र में आगे ले जाई जाती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-489

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

सुधार संबंधी सलाहकार समिति

489. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए किसी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपाय से इस क्षेत्र की समस्याएं और ईंधन की कमी के कारण इस क्षेत्र की अर्थक्षमता पर संकट की समस्या सुलझ जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में विद्युत, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत विकास के लिए परामर्शी दल का गठन किया गया था।

परामर्शी समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वृहत नीति ढांचा विकसित करने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें (i) इष्टतम ऊर्जा मिश्रण, (ii) सभी के लिए चोबीसों घंटे विद्युत हेतु राज्य कार्य योजना, (iii) अपेक्षित पारेषण और वितरण अवसरचना, (iv) नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, (v) ईंधन आपूर्ति बढ़ाना/इष्टतमीकरण, (vi) ऊर्जा दक्षता, (vii) अनुसंधान एवं विकास और (viii) नवाचार और नई प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं।

इस समूह ने अपनी रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-501

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना

501. श्री अभिजित मुखर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की स्थापना की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विलंब होने वाली परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल सहित देश में लंबित/अधूरी पड़ी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य/क्षेत्र-वार और संयंत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अब तक चार यूएमपीपी अर्थात मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुन्द्रा, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णाफुनम और झारखण्ड में तिलैया सफल बोलीदाताओं को अवार्ड किए गए हैं। मुन्द्रा और सासन यूएमपीपी पूर्णतः चालू किए जा चुके हैं। अवार्ड की गई यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-। पर है। अन्य अभिविहित यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-।। पर है।

(ख) : I. यूएमपीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (ताप), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अध्यक्षता और मेजबान राज्य के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) का गठन किया गया है।

II. कोई भी मंत्रालय/विभाग अथवा कोई भी निजी उद्यमी 1000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के निवेश वाली अपनी स्टाल्ड निवेश परियोजनाओं को अथवा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली किसी परियोजना को मंत्रिमण्डल

सचिवालय के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल में प्रस्तुत/अपलोड कर सकता है। विद्युत मंत्रालय ने मंत्रिमण्डल सचिवालय में पीएमजी द्वारा आगे निगरानी के लिए ऐसी स्टाल्ड परियोजनाओं को उठाया है।

(ग) : पश्चिम बंगाल में लगभग 2980 मेगावाट की कुल दो परियोजनाओं सहित देश में वर्तमान में लगभग 81741 मेगावाट की 82 ताप विद्युत परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। (ब्यौरे अनुबंध-III पर हैं।)

देश में कुल 13208 मेगावाट की 47 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) भी निर्माणाधीन हैं जिसमें से कुल 280 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में हैं। (ब्यौरे अनुबंध-IV पर हैं।)

(घ) : परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

I. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के द्वारा प्रगति की निरन्तर निगरानी करता है। सीईए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों को अभिचिन्हित करता है और उनका समाधान करने में सहायता करता है।

II. विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिचिन्हित करने और अन्तर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मामलों का शीघ्र समाधान करने को सुगम बनाने के लिए नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

III. विद्युत मंत्रालय उपकरण विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/ सीपीएसयू/ परियोजना विकासकर्ताओं इत्यादि के साथ चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षाएं भी करता है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 501 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 24.04.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 29 जनवरी, 2008 को अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम को देखते हुए कार्यस्थल पर काम रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना अवार्ड की गई और मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को 07 अगस्त, 2009 को अंतरित की गई। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि. (जेआईपीएल, आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने, झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का अंतरण न किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) की समाप्ति का नोटिस जारी किया है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 501 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अन्य चिन्हित यूएमपीपी की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी	स्थान	स्थिति
ओडिशा			
1.	बेडाबहल	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
2.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिन्हित किया गया है।
3.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिन्हित किया गया है।
छत्तीसगढ़			
4.	छत्तीसगढ़	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	मार्च, 2010 में आरएफक्यू जारी किया गया और कोयला ब्लॉक अलंघनीय क्षेत्रों में होने के कारण अक्टूबर, 2013 में वापस ले लिया गया। अब, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
तमिलनाडु			
5.	तमिलनाडु	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
6.	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--
झारखण्ड			
7.	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी	देवघर जिले में, हुसैनाबाद	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
गुजरात			
8.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	--	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
कर्नाटक			
9.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलोर तालुका के निदोडी गांव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।
महाराष्ट्र			
10.	महाराष्ट्र	--	स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
बिहार			
11.	बिहार	बांका जिले में ककवारा	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
उत्तर प्रदेश			
12.	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए तथा पीएफसी के अधिकारियों के एक दल ने स्थलों का दौरा किया। सीईए ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 501 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में अधूरी पड़ी (निर्माणाधीन) ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वास्तविक समय	चालू होने का अनुमानित समय
केंद्रीय क्षेत्र					
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	250	मई-11	अग.-16
		यू-3	250	सितं.-11	मार्च-17
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अक्टू.,13	मार्च-17
		यू-2	660	अप्रै.ि.,14	सितं.-17
		यू-3	660	अक्टू., 14	मार्च-18
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	195	जन.-13	फर.-16
बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	फर.-13	मार्च-16
		यू-2	250	मई-13	जून-16
		यू-3	250	अग.-13	दिसं.-16
		यू-4	250	नव.-13	जून-17
बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जन.-17	जून-17
		यू-2	660	जुला.-17	दिसं.-17
		यू-3	660	जन.-18	जून-18
छत्तीसगढ़	लारा टीपीएस	यू-1	800	दिसं.-16	दिसं.-16
		यू-2	800	जून-17	जून-17
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपें.	यू-1	500	दिसं.-11	मार्च-16
झारखण्ड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी	यू-1	660	फर.-18	फर.-18
		यू-2	660	अग.-18	अग.-18
		यू-3	660	फर.-19	फर.-19
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800	जन.-16	मार्च-16
		यू-2	800	जुला.-16	सितं.-16
		यू-3	800	जन.-17	मार्च-17
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी चरण-II	यू-3	660	मार्च-16	अग.-16
		यू-4	660	सितं.-16	फर.-17
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	मई-16	फर.-17
		यू-2	660	नव.-16	अग.-17
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी चरण-V	यू-13	500	अग.-15	अग.-15
मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी	यू-1	800	मार्च-17	जून-17
		यू-2	800	सितं.-17	नव.-17
मध्य प्रदेश	खारगोन टीपीपी	यू-1	660	मार्च-19	मार्च-19
		यू-2	660	सितं.-19	सितं.-19
ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	फर.-18	फर.-18
		यू-2	800	जून-18	जून-18
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	एसटी	35.6	जुला.-13	सितं.-15
त्रिपुरा	अगरतला जीटीपी	एसटी -1	25.5	मार्च-15	अग.-15
उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.- IV	यू-6	500	दिसं.-16	नव.-17
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	मार्च-17
		यू-2	660	दिसं.-16	सितं.-17

उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी	यू-1	660	मई-18	मई-18
		यू-2	660	नव.-18	नव.-18
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे-I	यू-2	600	मई-11	दिसं.-15
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे.-II	यू-1	660	अग.-17	13वीं योजना
		यू-2	660	जन.-18	13वीं योजना
कुल केंद्रीय क्षेत्र			24916.1		
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे -III	यू-6	600	जुला.-14	दिसं.-16
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	सितं.-11	जून-16
		एसटी	30	जन.-12	सितं.-16
बिहार	बरौनी टीपीएस एस्टं.	यू-1	250	मई-14	जून-16
		यू-2	250	जुला.-14	अग.-16
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	500	जुला.-12	सितं.-15
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटं.	यू-4	250	जन.-14	दिसं.-15
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	अक्टू.-13	मार्च-16
		यू-2	250	दिसं.-13	जून-16
गुजरात	वानाकबोरी टीपीएस एक्सटं.	यू-8	800	अक्टू.-18	अक्टू.-18
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	यू-3	700	अग.-14	दिसं.-15
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-1	800	अप्रै.-14	दिसं.-15
		यू-2	800	अक्टू.-14	अप्रै.-16
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-9	500	सितं.-12	जन.-16
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपं.	यू-9	660	जून-14	सितं.-15
		यू-10	660	जन.-16	मार्च-16
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपं.	यू-8	250	जन.-12	अक्टू.-15
मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीएस	यू-3	660	जुला.-18	जुला.-18
		यू-4	660	नव.-18	नव.-18
ओडिशा	आईबी वेल्ली टीपीपी	यू-1	660	अग.-17	अग.-17
		यू-2	660	जन.-18	जन.-18
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटं.	यू-5	660	जून-16	अप्रै.-17
		यू-6	660	जून-18	जून-18
राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस	यू-7	660	सितं.-16	अप्रै.-17
		यू-8	660	दिसं.-16	जुला.-17
तेलंगाना	काकतिया टीपीएस एक्सटं.	यू-1	600	जुला.-12	दिसं.-15
तेलंगाना	सिंगारैनी टीपीपी	यू-1	600	फर.-15	दिसं.-15
		यू-2	600	जून-15	मार्च-16
तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपं. एससीटीपीपी (लैंको)	यू-1	660	जन.-18	जन.-18
तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	मार्च-18	मार्च-18
		यू-2	660	मई-18	मई-18
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीपी	यू-7	500	जून-11	दिसं.-15
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II	यू-3	500	जुला.-14	नव.-15
		यू-4	500	अक्टू.-14	मार्च-16
कुल राज्य क्षेत्र			18180		
निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अक्टू.-13	जुला.-17
		यू-2	660	मार्च-14	दिसं.-17
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	अक्टू.-16
		यू-2	660	जून-15	मार्च-17
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-2	660	अग.-14	अग.-15
आंध्र प्रदेश	थम्मिनाप-एटनाम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	मई-12	अग.-16
		यू-4	350	अग.-12	नव.-16

आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	यू-1	520	जून-13	सितं.-15
		यू-2	520	सितं.-13	दिसं.-15
बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीएस	यू-1	660	अग.-14	13वीं योजना*
		यू-2	660	दिसं.-14	13वीं योजना*
		यू-3	660	अप्रै.-15	13वीं योजना#
		यू-4	660	अग.-15	13वीं योजना#
छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-3	600	दिसं.-12	जून-16
		यू-4	600	अप्रै.-13	मार्च-17
		यू-5	600	अग.-13	दिसं.-17@
		यू-6	600	दिसं.-13	मार्च-18@
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-2	300	नव.-10	नव.-15
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	अग.-13	दिसं.-15
		यू-2	300	नव.-13	जून-16
		यू-3	300	फर.-14	13वीं योजना#
		यू-4	300	मई-14	13वीं योजना#
छत्तीसगढ़	लेंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जन.-13	13वीं योजना*
		यू-4	660	मार्च-13	13वीं योजना*
छत्तीसगढ़	रायखेड़ा टीपीपी	यू-2	685	जन.-14	दिसं.-15
छत्तीसगढ़	सिंहहीतराई टीपीपी	यू-1	600	जून-14	मार्च-16
		यू-2	600	सितं.-14	अग.-16
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसं.-13	अग.-16
		यू-2	300	अप्रै.-14	मार्च-17
छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	मई-12	सितं.-15
		यू-2	360	नव.-12	दिसं.-15
		यू-3	360	फर.-13	मार्च-16
		यू-4	360	जुला.-13	जून-16
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	सितं.-11	दिसं.-15
छत्तीसगढ़	विसा टीपीपी	यू-1	600	अग.-13	17-18*
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	मई-12	17-18*
		यू-2	270	जून-12	17-18*
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	फर.-13	13वीं योजना*
		यू-4	270	मार्च-13	13वीं योजना*
झारखण्ड	तोरी टीपीपी	यू-1	600	जून-13	17-18 @
		यू-2	600	जन.-15	17-18 @
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुला.-14	13वीं योजना*
		यू-2	270	सितं.-14	13वीं योजना*
		यू-3	270	नव.-14	13वीं योजना*
		यू-4	270	जन.-15	13वीं योजना*
		यू-5	270	मार्च-15	13वीं योजना*
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	जन.-14	13वीं योजना*
		यू-2	660	मई-14	13वीं योजना*
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	अप्रै.-12	दिसं.-15@
		यू-3	270	जून-12	जून-17@
		यू-4	270	अग.-12	नव.-17@
		यू-5	270	अक्तू.-12	मार्च-18@
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अप्रै.-13	13वीं योजना*
		यू-2	270	जून-13	13वीं योजना*
		यू-3	270	अग.-13	13वीं योजना*
		यू-4	270	अक्तू.-13	13वीं योजना*
		यू-5	270	दिसं.-13	13वीं योजना*

मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज-1	यू-2	600	अग.-13	फर.-16
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600	जून-15	17-18@
मध्य प्रदेश	गोरगी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	13वीं योजना#
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-1	यू-1	600	मार्च-13	03/16
मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45	अप्रै.-14	मार्च-16
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	सितं.-11	सितं.-15
		यू-2	350	दिसं.-11	फर.-16
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसं.-11	17-18*
		यू-2	350	जन.-12	17-18*
		यू-3	350	मार्च-12	18-19*
ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रै.-13	17-18*
		यू-2	660	अग.-13	17-18*
ओडिशा	मली ब्राहमणी टीपीपी	यू-1	525	दिसं.-12	सितं.-16
		यू-2	525	फर.-13	मार्च-17
पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	यू-1	270	अप्रै.-13	15-16*
		यू-2	270	अक्टू.-13	16-17*
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-2	660	जन.-13	अग.-15
		यू-3	660	मई-13	दिसं.-15
		यू-2	600	मार्च-12	दिसं.-15
तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी	यू-2	600	मार्च-12	दिसं.-15
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	मई-12	सितं.-17
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	फर.-14	सितं.-15
		यू-2	660	जुला.-14	जन.-16
		यू-3	660	दिसं.-14	मई-16
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	अक्टू.-14	सितं.-15
		यू-2	660	फर.-15	मार्च-16
		यू-3	660	जून-15	सितं.-16
कुल निजी क्षेत्र			38645		
सकल योग			81741.1		

* - वर्तमान में स्थल पर कार्य नहीं चल रहा है।

@ - कार्य प्रगति बहुत धीमे है।

- कार्य अभी शुरू होना है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 501 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का नवीनतम समय
	आंध्र प्रदेश				
1	नागार्जुन सागर टीआर (एपजैको)	राज्य	2x25	50.00	2015-16
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			50.00	
	अरुणाचल प्रदेश				
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2016-17
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2015-16
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2018-20
5	गोंगरी (डिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00	2017-18
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			2854.00	
	हिमाचल प्रदेश				
6	पारबती स्टे. II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2018-19
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2016-17
8	स्वारा कुड्डु (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2017-18
9	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00	2016-17
10	शांगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2018-19
11	कशांग-I (एचपीपीसीएल)	राज्य	1x65	65.00	2015-16
12	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	130.00	2017-18
13	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2017-18
14	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2015-16
15	टांगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2017-18
16	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00	2016-17
17	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	36.00	2017-18
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			2216.00	
	जम्मू व कश्मीर				
18	बगलीहार-II (जेकेपीडीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2015-17
19	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2016-17
20	रत्ने (आरएचईपीसीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2019-20
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			1630.00	
	केरल				
21	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2017-18
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2017-18
	उप-जोड़: केरल			100.00	
	मध्य प्रदेश				
23	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2016-17
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			400.00	

	महाराष्ट्र				
24	कोयना लेफ्ट बँक (डब्ल्यूआरडी, महा.)	राज्य	2x40	80.00	2017-18
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00	
	मेघालय				
25	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00	2016-17
	उप-जोड़: मेघालय			40.00	
	मिजोरम				
26	तुरियल (नौपको)	केंद्रीय	2x30	60.00	2016-17
	उप-जोड़: मिजोरम			60.00	
	पंजाब				
27	शाहपुरकंदी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2017-18
	उप-जोड़: पंजाब			206.00	
	सिक्किम				
28	भास्मे (गाटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2017-18
29	दिक्चू (स्नेहा काइनेटिक)	निजी	3x32	96.00	2017-18
30	जोरथांग लूप (डैस एनर्जी)	निजी	2x48	96.00	2015-16
31	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2018-19
32	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2017-18
33	रॉगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2017-18
34	ताशीडिंग (शीगा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00	2017-18
35	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा)	निजी	6x200	1200.00	2016-17
36	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2018-19
37	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2018-19
	उप-जोड़: सिक्किम			2622.00	
	तेलंगाना				
38	लोअर जुराला (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	6x40	240.00	2015-17
39	पुलीचिंताला (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	4x30	120.00	2016-17
	उप-जोड़: तेलंगाना			360.00	
	उत्तराखण्ड				
40	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2019-20
41	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2018-19
42	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2018-19
43	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2018-19
44	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2017-18
45	सिंगोली भटवारी (एल एंड टी)	निजी	3x33	99.00	2017-18
	उप-जोड़: उत्तराखण्ड			2310.00	
	पश्चिम बंगाल				
46	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x40	160.00	2015-17
47	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2019-20
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			280.00	
	कुल:			13208.00	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-526

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजना

526. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चौदहवीं स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करने का है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास के लिए अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि, चालू वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं के लिए संवितरण हेतु 11.19 करोड़ रुपये की राशि का हिस्सा स्वीकृत किया गया है:

1. सीईएससी, मैसूर के लिए 4.07 करोड़ रुपये
2. एचपीएसईबी, हिमाचल प्रदेश के लिए 2.43 करोड़ रुपये
3. आईआईटी कानपुर के लिए 4.69 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) : इन पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शुरू करने में विलंब हुआ है। इसके मुख्य कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी में विलंब, यूटिलिटी

स्टाफ में विशेषज्ञता की कमी बोलीदाताओं द्वारा प्रारंभिक प्रतिक्रिया की कमी और कुछ परियोजनाओं के मामले में अत्यधिक कीमतों का होना आदि हैं।

परियोजना के कार्य में गति लाने के लिए उठाए गए कदमों में यूटिलिटी कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जानकारी को साझा करने एवं आम समस्याओं के समाधान के लिए यूटिलिटियों के बीच पारस्परिक सहयोग/बातचीत और इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स सचिवालय (आईएसजीटीएफ) के माध्यम से परियोजनाओं की निरंतर निगरानी शामिल है। यूटिलिटियों को अपेक्षित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पावरग्रिड, सीपीआरआई अथवा निजी परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(घ) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसके पास भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन की आयोजना एवं निगरानी करने हेतु अपने संसाधन होंगे, स्वतंत्रता होगी एवं सांविधिक प्राधिकरण होगा। एनएसजीएम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच भारत में स्मार्ट ग्रिड के विकास के लिए चल रहे सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं को समन्वयित करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-542

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत चोरी संबंधी प्राथमिकी रिपोर्ट

542. श्रीमती सकुंतला लागुरी:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में, विद्युत चोरी के विरुद्ध न्यायालय में प्राथमिकी दायर करने का प्रावधान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज मामलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या प्राथमिकी दायर नहीं करने के मामलों के बारे में सरकार को सूचित किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 में चोरी का पता लगाने और उपभोक्ताओं को ऐसी अवधि के कारावास जो तीन वर्षों तक हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) (घ) और (ड.) के तहत चोरी की परिभाषा में छेड़छाड़ किए गये मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग और अनाधिकृत उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 में विद्युत की चोरी से संबंधित अपराधों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 140 और धारा 150 में निर्दिष्ट अन्य अपराधों का तीव्रता से मुकदमा चलाने के लिए राज्यों में विशेष न्यायालयों की स्थापना करने लिए प्रावधान हैं।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (नवम्बर, 2014 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों में दायर विद्युत की चोरी से संबंधित मामले और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त किए गए अनुसार उपर्युक्त वर्षों के दौरान उन पर की गई कार्रवाई अर्थात् चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें अभियोग लगाया गया है और चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें न्यायालयों द्वारा जुर्माना लगाया गया है/निर्णय पारित किया गया है, के ब्यौरे अनुबंध में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) : इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 542 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों में दायर किए गए/पंजीकृत चोरी के मामलों संबंधी सूचना

क्रम सं.	राज्य/यूटी का नाम	विशेष न्यायालयों में पंजीकृत विद्युत चोरी के मामलों की संख्या	चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाया गया	चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें निर्णय दिया गया/दंड लगाया गया
	राज्य			
1	<u>गुजरात</u>			
	2012-13	2540	1191	104
	2013-14	3168	1406	92
	2014-15 (11/2014 तक)	2450	1290	65
2	<u>छत्तीसगढ़</u>			
	2012-13	2654	-	1541
	2013-14	2856		1680
	2014-15 (11/2014 तक)	3329		1503
3	<u>कर्नाटक</u>			
	2012-13	15871	193	18
	2013-14	12672	365	7
	2014-15 (11/2014 तक)	6902	224	5
	<u>मध्य प्रदेश</u>			
	<u>क. पीकेवीवीसीएल</u>			
	2012-13	24948	17539	6561
	2013-14	20014	15977	3284
	2014-15 (11/2014 तक)	15394	12848	1299
	<u>ख. एमपीपीकेवीवीसीएल</u>			
	2012-13	25071	24914	1205
	2013-14	18663	18081	1172
	2014-15 (11/2014 तक)	19033	19012	153
	<u>ग. एमपीएमकेवीवीसीएल</u>			
	2012-13	15937	13345	5381
	2013-14	16466	12778	3965
	2014-15 (11/2014 तक)	13467	8595	1763
5	<u>महाराष्ट्र</u>			
	2012-13	22767	4732	-
	2013-14	17443	4625	
	2014-15 (11/2014 तक)	14017	4793	
6	<u>तेलंगाना</u>			
	2012-13	74399	14	17
	2013-14	64083	62	12
	2014-15 (11/2014 तक)	44564	73	27
7	<u>ओडिशा*</u>			
	2012-13	491	367	62
	2013-14	546	442	69
	2014-15 (11/2014 तक)	256	145	59

* ओडिशा के साउथको एवं अन्य ऊर्जा पुलिस स्टेशनों को छोड़कर, क्योंकि वित्त वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं				
8	तमिलनाडु गेडको			
	चेन्नई दक्षिणी क्षेत्र			
	2012-13	1	1	0
	2013-14	0	0	0
	2014-15 (11/2014 तक)	0	0	0
	तिरुनेलवेली क्षेत्र			
	2012-13	0	0	0
	2013-14	2	2	0
	2014-15 (11/2014 तक)	-	-	-
	मदुरै क्षेत्र			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15 (11/2014 तक)			
कोयम्बटूर क्षेत्र				
	2012-13		0	
	2013-14		2	
	2014-15 (11/2014 तक)		0	1
उपर्युक्त वर्षों के लिए तमिलनाडु गेडको के सेलम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, चेन्नई नॉर्थ रीजन, विल्लपुरम रीजन, त्रिची रीजन एवं वैल्लोर रीजन से संबंधित सूचना शून्य है।				
	राज्य			
9	दिल्ली			
	टीपीडीडीएल			
	2012-13	1198	1354	23
	2013-14	1856	1382	22
	2014-15 (11/2014 तक)	1639	1340	18
	बीआरपीएल			
	2012-13	2714	4235	129
	2013-14	2724	5826	115
	2014-15 (11/2014 तक)	1573	6061	79
	बीवाईपीएल			
	2012-13	1570	206	52
	2013-14	2095	169	71
	2014-15 (11/2014 तक)	1451	167	59
10	आंध्र प्रदेश			
	एपीईपीडीसीएल			
	2012-13	1760	0	4
	2013-14	1841	1	0
2014-15 (11/2014 तक)	932	1	0	
11	पंजाब			
	2012-13	1806	129	15
	2013-14	1924	73	10
	2014-15 (11/2014 तक)	2134	53	5
12	मिजोरम			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15 (11/2014 तक)			
13	अरुणाचल प्रदेश			
	2012-13			
	2013-14			

शून्य सूचना

विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया गया

	2014-15 (11/2014 तक)			
14	<u>मणिपुर</u>			
	2012-13	433	386	123
	2013-14	16	338	338
	2014-15 (11/2014 तक)	0	0	0
15	<u>मेघालय</u>			
	2012-13	-	2	-
	2013-14	-	2	2
	2014-15 (08/2014 तक)	-	-	1
16	<u>नागालैंड</u>			
	2012-13	354		
	2013-14	1060		
	2014-15 (11/2014 तक)	635		
टिप्पणी:- विद्युत विभाग, नागालैंड ने विद्युत चोरी निरोधक मोबाइल स्क्वाड/विद्युत चोरी निरोधक पुलिस स्टेशन की स्थापना की है।				
<u>संघ राज्य क्षेत्र</u>				
1	<u>अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह</u>	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में चोरी की कोई सूचना दर्ज नहीं की गई है, अतः अभी तक किसी विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है।		
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15 (11/2014 तक)			
2	<u>दमन व दीव</u>	शून्य सूचना		
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15 (11/2014 तक)			
टिप्पणी:- शेष राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।				
स्रोत: सीईए				

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-549

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन उपस्कर

549. श्री महेश गिरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विद्युत उत्पादन उपस्कर के विनिर्माण में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में विद्युत उपस्करों की खरीद के आयात पर आये खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उपस्करों के विनिर्माण में लगी पीएसयू को कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उपस्करों के आयात और विद्युत यंत्र उत्पादन के सहयोग हेतु विदेशी कंपनियों के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी हाँ, भारत विद्युत उत्पादन उपस्करों का निर्माण करने में आत्मनिर्भर है। भेल की संस्थापित निर्माण क्षमता 20,000 मेगावाट प्रतिवर्ष है। यह क्षमता देश की मांग जो 12वीं योजना अवधि (2012-17) के पांच वर्षों के दौरान लगभग 88,500 मेगावाट रही है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

गत पांच वर्षों (2010-11 से 2014-15) के दौरान 68,199.61 करोड़ रूपए के व्यय पर आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 16,206.6 मेगावाट की कुल थर्मल क्षमता का आदेश दिया गया है। इसी अवधि के दौरान 1099.79 करोड़ रूपए + 181.918 मिलियन यूरो की संविदा कीमत पर आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 1530 मेगावाट की कुल जल विद्युत क्षमता के इलेक्ट्रोमेकेनिकल उपस्करों का आदेश दिया गया है।

वर्ष 2010 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उन विद्युत उपस्करों जो विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने योग्य हैं, के लिए तकनीकी मानक जारी किए थे।

भेल ने सुपर क्रिटिकल बायलरों और टरबाइन जेनरेटरों के उत्पादन के लिए क्रमशः मैसर्स एलसटाम और सीमेन्स के साथ सहयोग करार किया है। इसके अतिरिक्त, सुपर क्रिटिकल बायलरों और टरबाइन जेनरेटरों के कई अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों ने देश में सुपर क्रिटिकल विद्युत उपस्करों के लिए निर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। इन उद्यमों द्वारा परिकल्पित नियोजित निर्माण क्षमता सुपर क्रिटिकल बायलरों के लिए लगभग 16,000 मेगावाट प्रतिवर्ष और सुपर क्रिटिकल टरबाइन जेनरेटरों के लिए 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-567

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

567. श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। यह उल्लेख किया जाता है कि देश में घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की कमी और 2015-16 तक कोई अतिरिक्त घरेलू गैस के उपलब्ध न होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 तक किसी गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की योजना न बनाने के लिये परामर्शिका जारी की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-577

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

नई विद्युत पारेषण लाइनें

577. श्री पी. आर. सुन्दरमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नई विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के लिए परियोजनाएं प्रदान की हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि के दौरान क्षमता संवर्धन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया/की जाने की संभावना है;
- (ग) क्या यह सच है कि कुछ उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनें फार्म/कृषि भूमि के ऊपर होकर जा रही हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र का फार्म/कृषि भूमि है जिसके ऊपर होकर यह उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनें निकाली गई हैं; और
- (ङ) क्या ऐसी भूमि के किसानों/मालिकों को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 16 (जून, 2015 तक) के दौरान प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयकों [आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)] द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 14 पारेषण स्कीमों के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) सफल बोलीदाता को सौंप दिया गया है। उपरोक्त अवधि के दौरान स्कीमों, अनुमानित लागत आदि का वर्षवार ब्यौरा अनुबंध-1 में है। इसी प्रकार, देश में विभिन्न राज्यों में नई विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के लिए लगभग 53,880 करोड़ रुपये मूल्य की अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाएं गत तीन वित्तीय वर्षों

(अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13, वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2014-15) और चालू वित्तीय वर्ष 2015-के दौरान 30 जून, 2015 तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा अनुमोदित की गई हैं। ये परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान पीजीसीआईएल द्वारा पारेषण क्षमता में की गई अभिवृद्धि का वर्षवार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

(ग) और (घ) : उच्च वोल्टेज वाली पारेषण लाइनों का निर्माण फार्म/कृषि भूमि सहित सभी प्रकार के भूभाग में किया जाता है। विधि के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पारेषण टावर के नीचे की भूमि को अधिग्रहित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है और भूस्वामी के पास भूमि के पूरे अधिकार होते हैं और निर्माण अवधि के बाद खेतीबाड़ी करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः उस फार्म/कृषि भूमि के क्षेत्र, जहाँ से उच्च वोल्टेज वाली पारेषण लाइनें गुजर रही हैं, के संबंध में भारत सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) : नींव रखते समय/टावर लगाते समय और तारें बिछाते समय फसल और वृक्षों की क्षति, यदि कोई हो, के लिए मुआवजा सुस्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुरूप किसानों को दिया जाता है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 577 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, बोली प्रक्रिया समन्वयक, आरई पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) द्वारा सफल बोलीकर्ता को सौंपी गई टीबीसीबी के अंतर्गत पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे,

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	एसपीवी स्थानांतरण की तिथि
1	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-क)	4070	24.04.2015
2	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ख)	3684	24.04.2015
3	विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	2845	26.02.2015
4	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXIX	2621	04.08.2014
5	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXXI (भाग-क)	225	12.05.2014
6	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXXI (भाग-ख)	370	12.05.2014
7	ऊंचाहार टीपीएस का एटीएस	70	24.03.2014
8	एनटीपीसी लिमिटेड के कुडगी टीपीएस(3x800 मेगावाट चरण-I में) से विद्युत के निकास के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली ।	1240	30.08.2013
9	पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली का सुदृढीकरण	1180	30.08.2013

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीबीसीबी के माध्यम से, बोली प्रक्रिया समन्वयक, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा अवाई की गई पारेषण परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	चयनित विकासकर्ता को एसपीवी स्थानांतरण की तिथि
1	पतरान 400 केवी एस/एस के लिए पारेषण प्रणाली	200	13-नव.-13
2	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-VII	370	09-दिसं.-13
3	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम-VI	540	10-दिसं.-13
4	राजस्थान में आरएपीपी यू-7 एवं 8 का एटीएस पार्ट ।	310	12-मार्च-14
5	टोरेंट पावर लिमिटेड की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	275	17.03.2015

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.07.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 577 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीजीसीआईएल द्वारा की गई पारेषण क्षमता अभिवृद्धि का वर्ष-वार ब्यौ रा

वर्ष	पारेषण लाइनें (सीकेएम)	ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए)	नए उप-केंद्र (सं.)	पूँजीगत व्यय (रुपए करोड़ में)
2012-13	7,219	40,238	17	20,360
2013-14	6,604	41,160	17	23,158
2014-15	8,833	25,786	8	22,456
2015-16 (30 जून, 2015 तक)	1,686	6,000	4	6,411
कुल	24,342	1,13,184	46	72,385

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-601

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषण

601. श्री जय प्रकाश नारायण यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देश में ताप विद्युत संयंत्र गैस का अत्यधिक उत्सर्जन कर पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं और अधिक मात्रा में जल का उपभोग भी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही निगरानी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय विद्युत क्षेत्र से CO₂ उत्सर्जन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल CO ₂ उत्सर्जन, मिलियन टन में	विनिर्दिष्ट CO ₂ उत्सर्जन किलोग्राम/किलोवाट प्रति घंटा
2009-10	580.0	1.07
2010-11	597.7	1.06
2011-12	637.3	1.05
2012-13	696.3	1.04
2013-14	727.4	1.03

यद्यपि देश में कोयला आधारित संयंत्रों में बड़े पैमाने पर हुई क्षमता अभिवृद्धि के कारण कुल CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, तथापि, इन संयंत्रों से विनिर्दिष्ट CO₂ उत्सर्जन में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है।

भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों में तुलनात्मक रूप से भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा और उच्च परिवेशी तापमान के कारण खपत योग्य जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। संयंत्र खपत योग्य जल आवश्यकता को कच्चे जल की गुणवत्ता, कंडेंसर कूलिंग सिस्टम के प्रकार, कोयले की गुणवत्ता, राख उपयोग, राख निपटान सिस्टम के प्रकार, अपशिष्ट जल प्रबंधन पहलुओं आदि जैसे कई कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ख) : भारत सरकार द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से CO₂ उत्सर्जन और जल खपत में कमी लाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

- (i) ताप विद्युत उत्पादन के लिए अधिक कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाना, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट कोयले की खपत में कमी (किलोग्राम/किलोवाट प्रति घंटा) होगी और इससे CO₂ उत्सर्जन और जल खपत में कमी आएगी।
- (ii) अकुशल एवं पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से सेवामुक्त किया जा रहा है। लगभग 3100 मेगावाट की क्षमता को पहले ही सेवानिवृत्त किया जा चुका है।
- (iii) सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई है।
- (iv) ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा वर्द्धित ऊर्जा कुशलता राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के अंतर्गत परफार्म एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में देश में ऊर्जा कुशलता में सुधार लाने के लिए कुल 144 ताप विद्युत केन्द्रों को अलग-अलग लक्ष्य सौंपे गए हैं। इन ताप विद्युत केन्द्रों में वृद्धि संबंधी कुशलता से जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आएगी और इससे CO₂ का उत्सर्जन कम होगा।
- (v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित शून्य तरल बहिस्साव जैसे उपायों, धुले हुए कोयले का प्रयोग जिसमें राख की मात्रा कम हो, बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्रणाली आदि का प्रयोग जैसे उपायों से कोयला आधारित संयंत्रों में विनिर्दिष्ट जल खपत में धीरे-धीरे अर्थात् पूर्ववर्ती 5-7 मी³ प्रति घंटा प्रति मेगावाट से घटकर वर्तमान में लगभग 3 मी³ प्रति घंटा प्रति मेगावाट हो गयी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-602

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

602. श्री एस.आर. विजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत क्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश का क्या ब्यौरा है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई नई नीति बनाई

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त नीति के तहत आगामी तीन वर्षों में कितना विदेशी निवेश किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : निवेश की मात्रा पर किसी उच्चतम सीमा के बिना उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत व्यवसाय में ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्युत एक्सचेंज के लिए एफ डी आई कैप "ऑटोमैटिक रूट" के माध्यम से 49% (26% एफ डी आई, + 23% एफ आई आई/एफ पी आई) है।

2012-13 से 2014 -15 तक विद्युत क्षेत्र में होने वाले एफ डी आई अंतप्रवाह का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(\$ एमएन में)

वर्ष	विद्युत में एफ डी आई
2012-13	536
2013-14	1066
2014-15	657

इन वर्षों में कुल उर्जा उत्पादन विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश के कारण होने वाले उत्पादन सहित क्रमशः 912056.70 एमयू, 967150.34 एमयू, और 1048672.96 एमयू था।

भारत सरकार ने नवीकरणीय स्रोतों से वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा है। सम्भावना है कि नवीकरणीय क्षेत्र सहित समस्त विद्युत क्षेत्र आने वाले वर्षों में बड़ी राशि के विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-611

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

611. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत अधिनियम, 2003 को संशोधित करके इसमें वितरण क्षेत्र में विद्युत और पारेषण को पृथक करने का विचार है और यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्यों तथा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में एक साझा नेटवर्क के जरिए विद्युत आपूर्ति के लिए एकाधिक लाइसेंस देने की भी अवधारणा रखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा;

(ग) क्या विद्युत कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हो तथा इस मुद्दे पर सरकार की क्या राय है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वितरण क्षेत्र में वहन तंत्र और मूल घटक को पृथक करना शामिल है। अन्य प्रस्तावित संशोधनों में ग्रिड संरक्षा एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करना, नये कोयला एवं लिग्नाईट आधारित थर्मल उत्पादन संयंत्रों के लिए नवीकरणीय उत्पादन बाध्यता (आरजीओ), प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया का युक्तिकरण, विनियामक आयोगों की कार्य निष्पादन निगरानी और नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं (आरपीओ) को सख्ती से लागू करना आदि शामिल हैं।

(ख) : जी, हाँ। उपभोक्ताओं को वितरण क्षेत्र में और प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाने के उद्देश्य का विकल्प देते हुए वहन तंत्र और मूल घटक के पृथक्करण के साझे नेटवर्क द्वारा विद्युत की आपूर्ति करते हुए वितरण क्षेत्र में बहु आपूर्ति लाइसेंसियों को लाने की संकल्पना का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) : विद्युत कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अपने अभ्यावेदन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, जिनमें से अधिकतर वितरण क्षेत्र में वहन तंत्र और मूल घटक को पृथक करने के प्रस्ताव से संबंधित हैं।

(घ) : वहन तंत्र और मूल घटक को पृथक करने के प्रस्तावित संशोधनों में वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए सक्षम प्रावधानों की व्यवस्था की गई है और वास्तविक अंतरण स्कीम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार की जाएगी और कार्यान्वित की जाएगी। स्कीम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए फ्रेमवर्क में पर्याप्त लचीलेपन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर कई प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जो उपर्युक्त अभ्यावेदन में व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-628

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

नए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए धनराशि

628. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तेलंगाना/आंध्र प्रदेश सरकारों ने नए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को पुरानी और अप्रचलित ताप इकाइयों के स्थान पर नई सुपर क्रिटिकल ताप इकाइयों का प्रतिस्थापन करने के निदेश दिए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इन राज्यों ने केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि जारी करने और तकनीक तथा मशीनरी के आयात हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं।

(ख) : आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपीजेनको) ने सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) ने डॉ० नारला टाटा राव ताप विद्युत स्टेशन (डॉ० एनटीटीपीएस) चरण-v(1x800 मेगावाट) को पर्यावरण स्वीकृति देते समय विशेष शर्तें रखी, जिनमें से 'पुरानी यूनिटें' (I एवं II) के प्रदूषण भार पर विचार करना तथा विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश की नई राजधानी) से समीपता' एक है, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने यूनिट (I एवं II) को यथाशीघ्र हटाने की सिफारिश की है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसजेनको) को कोठागुडेम टीपीएस (4x60 मेगावाट + 4x120 मेगावाट) को 660 मेगावाट अथवा 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल यूनिटों में प्रतिस्थापित करने की संभावना तलाश करने की सिफारिश की है।

(ग) : जी नहीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारकित प्रश्न संख्या-632

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत की बर्बादी

632. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री प्रेम दास राईः

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

श्री धर्मन्द्र यादवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संकरेपन के कारण विद्युत का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। विद्युत की कुछ मात्रा संकुलता के कारण विद्युत बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(ख) : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान संकुलता के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ऊर्जा तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	संकुलता के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी विद्युत की मात्रा (मि.यू.)
2012-13	4648
2013-14	5591
2014-15	3144

संकुलता के कारण विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं कराई जा सकी विद्युत की मात्रा के राज्यवार ब्यौरे तैयार नहीं किए जा सकते क्योंकि भारत को विद्युत बाजार प्रचालक अर्थात् (पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन (पोसोको)) द्वारा विद्युत बाजार बोली क्षेत्रों में पृथक किया गया है और इन बोली क्षेत्रों के बीच विद्युत के अंतरण में संकुलता का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी से उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी से दक्षिणी क्षेत्र के बीच पर्याप्त अंतरक्षेत्रीय अंतरण क्षमता के उपलब्ध न होने के कारण संकुलता का अनुभव किया गया।

(ग) : विशेषकर पश्चिमी से उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी से दक्षिणी क्षेत्र के बीच संकुलता को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और नए पारेषण गलियारों की योजना बनाई गई है। इन गलियारों से इन क्षेत्रों के बीच अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से 12वीं योजना के अंत तक लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
